नम्बर व त
अहकाम जो
हुक्म की तार्
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 27/2017

अनवान

1 कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... वादी

बनाम

1 बद्री पिता रामचन्द्र माली निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 30.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके बनेडा पटवार हल्का क्षैत्र बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 876 के आराजी संख्या 1681, 2195, 2196, 2202, 4073, 4075, 4076 कुल किता 7 कुल रकबा 10–02 बीघा भूमि बद्री काना पिता रामचन्द्र माली सां0 देह के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही थी । जिसमें वादी व प्रतिवादी के पिता रामचन्द्र पिता आसु माली की मृत्यूपरांन्त नारान्तकरण खोला गया जिसमें वादी का नाम कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र माली के स्थान पर काना पिता रामचन्द्र माली दर्ज कर दिया गया। जबकी वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक होकर दादा के जीवन काल से ही काबिज है एव वर्तमान में वादी एंव प्रतिवादी उक्त आराजीयात पर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। अतः वादी का नाम कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र माली के स्थान पर काना पिता रामचन्द्र माली राजस्व रेकार्ड में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरुस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

2. प्रकरण को दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प शिविर बनेडा के लिए पंजीबद्ध कर दर्ज रजिस्टर किया गया। लोक अदालत शिविर के दौरान ही दिनांक 30.06.2017 को वादी कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र माली व प्रतिवादी संख्या 01 ब्रदी पिता रामचन्द्र माली, के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी मय अधिवक्ता एंव प्रतिवादीगण उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एंव कलमबद्ध बयानो एंव वादपत्र का अध्ययन एंव मनन उपरान्त वादी द्वारा वादपत्र के साथ फोटो पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड वादी की सेकेन्ड्री बोर्ड अंकतालिका की प्रति रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि वादी का नाम

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र माली है। लिहाजा वादी का वाद पत्र मेरिट व परिक्षण से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके बनेडा पटवार हल्का क्षैत्र बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 876 के आराजी संख्या 1681, 2195, 2196, 2202, 4073, 4075, 4076 कुल किता 7 कुल रकबा 10–02 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम काना पिता रामचन्द्र माली सा0 देह खातेदार के बजाय कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र माली सा0 देह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाडा (राज.)